न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री हँसमुख कुमार (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र :—15 / 2024 (2024 / 50)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
तेजाराम पुत्र अणदाराम जाति पटेल निवासी पटेलो का बास लूणी तहसील लूणी जिला जोधपुर।		राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार लूणी जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः—

प्रार्थी की ओर से :— अधिवक्ता श्री सचिन दवे।

अप्रार्थी संख्या की ओर सेः— सरकारी पैराकोर।

दिनांक :— 5.5.2026

— : : निर्णय : : —

1. प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त सारांश इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम कि कब्जा शुदा काश्त शुद कृषि भूमि का वाके ग्राम लूणी तहसील लूणी के खसरा नम्बर 846 / 3 रकबा 10 बीघा 01 बिस्वा आई हुई है। जिस पर प्रार्थी नियमित रूप से 1 / 4 भाग पर काश्त कार्य कर रहा है। उपरोक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी से खातेदारी दर्ज है तथा वर्ष 2021 में जब रेकर्ड का नवीनीकरण किया गया तब प्रार्थी के खसरे में लिपिकिय त्रुटि से सहवन से प्रार्थी के खसरे का राजस्व रेकर्ड में स्थान बदल दिया गया तथा प्रार्थी के खसरे को गलत स्थान पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया है। जबकि प्रार्थी वास्तविक व सही स्थान पर आज भी कब्जा काश्त है तथा उक्त त्रुटि मानवीय भूल व लिपिकिय त्रुटि है अर्थात उपरोक्त गलती मात्र एक भूल है जिसे राजस्व रिर्कोड में सुधार किया जाना हर तरह से कानूनी व न्यायसंगत है। ग्राम लूणी के खसरा नम्बर 846 / 3 में प्रार्थी का नाम से दर्ज है। जिसमें तरमम अशुद्व हो गई है। जिसको शुद्व किये जाने का निवेदन किया है।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार लूणी को इस कार्यालय के पत्रांक / कोर्ट / 2024 / 44 दिनांक 01.02.2024 के द्वारा जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार लूणी के पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 1401 दिनांक 09.05.2024 के द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार लूणी ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया कि ग्राम लूणी के खसरा संख्या 846 की भूमि जो सिवायचक दर्ज थी जिसमें से खातेदारों का आंवटन / नियमन हुई जिसका वर्णन बिन्दु संख्या एक में वर्णित है। उपरोक्त आवंटन / नियमन के पश्चात खसरा नम्बर 846 रकबा 9.14 बीघा भूमि आवंटन से शेष रही जो वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। नामान्तरकरण की पुश्त पर नजरिया नक्शा अंकित नही है। ग्राम लूणी का लट्ठा ट्रेस नक्शा कटा—फटा व जीर्ण—झीर्ण है जिसमें खसरा नम्बर 846 की आकृति व तरमीम स्पष्ट नहीं होती है। DILRMP के तहत ऑनलाईन नक्शे में दर्ज तरमीम मौके के अनुरूप नहीं है। नामान्तरकरण 458 द्वारा नियमन होने से तत्पश्चात विरासत के नामान्तरकरण से दर्ज खातेदार द्वारा बेचान करने पर नामान्तरकरण संख्या 1109 द्वारा खातेदार संतोष पत्नि विजयराज, विद्या देवी पत्नि रमेश कुमार, रजनी देवी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

पत्नि राजकुमार कौम मोची निवासी के 156, 157 हुड़कों क्वाटर प्रतापनगर जोधपुर के नाम दर्ज हुई इन खातेदारों द्वारा आपसी सहमती से विभाजन करवाने पर नामान्तरकरण संख्या 1477 द्वारा विभाजन हुआ इन खातेदारों द्वारा आपसी सहमती से विभाजन करवाने पर नामान्तरकण संख्या 1477 द्वारा विभाजन हुआ जिसे नामान्तरकरण पुश्त पर नजरिया नक्शा अंकित नही है। तहसीलदार रिपोर्ट में मौका आकृति बी के अनुसार कब्जा, खातेदारों के मध्य माठ संबंधी कोई विवाद नही होने से एवं सभी हितबद्व पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए तरमीम शुद्वि किया जाना उचित बताया है।

3. पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में राजस्व रेकर्ड व तहसीलदार लूणी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार झंवर की रिपोर्ट अनुसार समस्त पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुये तरमीम शुद्धि किया जाना उचित बताया है। प्रार्थी द्वारा प्रभावित होने वाले खातेदारों को पक्षकारान के रूप में संयोजित नहीं किया गया है मात्र स्टेट को पक्षकार बनाया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत तरमीम दुरूस्ती पक्षकारों के उचित संयोजन नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को पक्षकारों के उचित संयोजन के साथ नये सिरे से प्रस्तुत करने को स्वतंत्र है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हों।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

(... कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी